

भारत सरकार  
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)  
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय  
9 वां तल, सूचना भवन सी जी ओ कॉम्पलेक्स  
लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003

**विषय: प्रकाशकों हेतु पीआरजीआई द्वारा जारी सभी परामर्शिकाओं का संकलन (2024-2025)**

सभी प्रकाशकों की जानकारी हेतु यह संयुक्त परामर्शिका तैयार की गई है। इसमें वर्ष 2024 तथा 2025 के दौरान पीआरजीआई द्वारा जारी किए गए प्रमुख निर्देशों, विनियामक जरूरतों, प्रक्रियात्मक अद्यतनों तथा अनुपालन दायित्वों का सारांश प्रदान किया गया है। प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक विषयगत क्षेत्र का अच्छे से समीक्षा करें तथा सभी लागू दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

**1. पंजीकरण**

1.1 नियतकालिक पत्रिकाओं के नए पंजीकरण के लिए शीर्षक की स्वीकार्यता के लिए दिशानिर्देशों (परामर्शिका नंबर 7)

<https://prgi.gov.in/policy/guidelines-admissibility-titles>

1.2 पीबी-शब्द (PB-SHABD) प्लेटफॉर्म पर प्रकाशकों का पंजीकरण (परामर्शिका संख्या-29)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-08/advisory\\_no\\_29\\_0001.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-08/advisory_no_29_0001.pdf)

1.3 विद्यमान नियतकालिक पत्रिकाओं के नवीन संस्करणों का पंजीकरण (परामर्शिका संख्या-40)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory\\_no\\_40\\_of\\_2025\\_0001.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory_no_40_of_2025_0001.pdf)

1.4 प्रेस सेवा पोर्टल में नियतकालिक पत्रिकाओं के मूल्य परिवर्तन की सुविधा (परामर्शिका संख्या-35)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory\\_no.35.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory_no.35.pdf)

1.5 स्वामित्व हस्तांतरण — निर्धारित प्रारूप में हस्तांतरण अनुबंध प्रस्तुत किए जाने के संबंध में (परामर्शिका सं० 4)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-03/advisory\\_no\\_4\\_of\\_2025\\_2.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-03/advisory_no_4_of_2025_2.pdf)

1.6 पंजीकृत समाचार-पत्र शीर्षकों के स्वामित्व हस्तांतरण पर प्रतिबंध (परामर्शिका संख्या-41)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory\\_no\\_41\\_of\\_2025\\_0001.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory_no_41_of_2025_0001.pdf)

1.7 पीआरपी अधिनियम, 2023 तथा प्रेस सेवा पोर्टल के क्रियान्वयन से पूर्व प्राप्त अपूर्ण भौतिक आवेदनों के संबंध में सार्वजनिक सूचना (परामर्शिका संख्या-16)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-05/document\\_69\\_1\\_1.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-05/document_69_1_1.pdf)

1.8 नियतकालिक पत्रिकाओं के स्वामित्व का विधिक उत्तराधिकारी को हस्तांतरण (परामर्शिका संख्या-9)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-04/advisory\\_9.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-04/advisory_9.pdf)

1.9 पीआरपी अधिनियम, 2023 के तहत नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद करना / स्थगन (परामर्शिका संख्या-5)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-03/advisory\\_no\\_5.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-03/advisory_no_5.pdf)

1.10) स्वामित्व हस्तांतरण आवेदन — नियतकालिक पत्रिकाओं के मालिकों द्वारा स्वामित्व हस्तांतरण अनुबंध उचित एवं निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने संबंधी (परामर्शिका सं० 4)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-03/advisory\\_no\\_4\\_of\\_2025\\_2.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-03/advisory_no_4_of_2025_2.pdf)

## 2. प्रसार संख्या सत्यापन/ डेस्क ऑडिट

2.1 डेस्क ऑडिट के माध्यम से प्रसार संख्या सत्यापन हेतु संशोधित एवं सरलीकृत दिशा-निर्देश (परामर्शिका संख्या-30)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-08/guidelines\\_cv.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-08/guidelines_cv.pdf)

2.2 प्रसार संख्या सत्यापन परिशिष्ट (संख्या 45 में संदर्भित) (परामर्शिका सं० 36)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/addendum\\_to\\_cv\\_guidelines\\_signed.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/addendum_to_cv_guidelines_signed.pdf)

2.3 प्रसार संख्या सत्यापन दिशा-निर्देशों के परिशिष्ट की प्रासंगिता (वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु) (परामर्शिका संख्या-45)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-11/advisory\\_no.45.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-11/advisory_no.45.pdf)

2.4 ई-मेल के माध्यम से प्रसार संख्या सत्यापन अनुरोध स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया समाप्त करना (परामर्शिका संख्या-43)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-10/docscanner\\_24-oct-2025\\_1-40\\_pm.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-10/docscanner_24-oct-2025_1-40_pm.pdf)

## 3. अनुपालन / समय-सीमाएँ

3.1 प्रकाशकों हेतु सूचना — पीआरपी अधिनियम, 2023 के अनुपालन न किए जाने के संबंध में (परामर्शिका संख्या-18)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-06/advisory\\_no\\_18\\_alongwith\\_enclosure\\_0.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-06/advisory_no_18_alongwith_enclosure_0.pdf)

3.2 वार्षिक विवरण की ई-फाइलिंग की अंतिम तिथि का विस्तार (वित्तीय वर्ष 2024-25) (परामर्शिका संख्या-20)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-06/advisory\\_no.20\\_1.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-06/advisory_no.20_1.pdf)

3.3 वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु दाखिल वार्षिक विवरण में संशोधन (परामर्शिका संख्या-22)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-07/advisory\\_cv.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-07/advisory_cv.pdf)

3.4 वार्षिक विवरण की ई-फाइलिंग की अंतिम तिथि में पुनः विस्तार (परामर्शिका संख्या-42)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-10/advisory\\_no\\_43001\\_2.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-10/advisory_no_43001_2.pdf)

3.5 वार्षिक विवरण की ई-फाइलिंग हेतु समय-विस्तार (वित्तीय वर्ष 2024-25) (परामर्शिका संख्या-44)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-11/advisory\\_no.44\\_of\\_2025001.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-11/advisory_no.44_of_2025001.pdf)

3.6 31 अक्टूबर तक वार्षिक विवरण दाखिल करने हेतु समय-विस्तार (परामर्शिका संख्या-37)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory\\_no.37\\_annual\\_statement\\_extension\\_0001.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory_no.37_annual_statement_extension_0001.pdf)

## 4. समाचार-पत्रों एवं नियतकालिक पत्रिकाओं का वितरण / पंजीकरण प्रमाण-पत्र (CR) / प्रकाशन निरंतरता प्रमाण-पत्र (PCC) का संकलन

4.1 वापस प्राप्त / अप्राप्य / दावा न किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का संकलन (परामर्शिका संख्या-38)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory\\_no.38\\_along\\_with\\_enclosures.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory_no.38_along_with_enclosures.pdf)

4.2 पीआरपी नियम, 2024 के नियम 10(2) के अंतर्गत भौतिक प्रतियों का वितरण (परामर्शिका संख्या-39)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory\\_no.39\\_delivery\\_of\\_copies.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory_no.39_delivery_of_copies.pdf)

4.2 पीआरपी नियम, 2024 के नियम 10(2) के अंतर्गत भौतिक प्रतियों का वितरण (परामर्शिका सं० 39)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory\\_no.39\\_delivery\\_of\\_copies.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory_no.39_delivery_of_copies.pdf)

4.3 निष्क्रिय नियतकालिक पत्रिकाओं तथा निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा प्रकाशन निरंतरता प्रमाण-पत्र (PCC) जारी किए जाने के संबंध में (परामर्शिका संख्या-11)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-04/advisory\\_no.11.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-04/advisory_no.11.pdf)

## 5. डिजिटल प्रणालियाँ

5. प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूपांतरण तथा त्रुटि-संबंधी पत्राचार के उत्तर में भौतिक डाक स्वीकार करने की प्रक्रिया 1 सितंबर, 2025 से समाप्त करना (परामर्शिका संख्या-31)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-08/advisory\\_no\\_31\\_of\\_2025\\_0001.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-08/advisory_no_31_of_2025_0001.pdf)

5.2 प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रकाशन निरंतरता प्रमाण-पत्रों को स्वीकार करना (परामर्शिका संख्या-34)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory\\_no.34.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-09/advisory_no.34.pdf)

## 6. निर्दिष्ट प्राधिकारी

6.1 पीआरपी अधिनियम, 2023 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व (परामर्शिका संख्या-19)

<https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-06/advisory%20no.19%20of%202025%201.pdf>

## 7. धोखाधड़ी / सुरक्षा

पीआरजीआई अधिकारियों के रूप में प्रतिरूपण करने वाले धोखाधड़ीपूर्ण व्यक्तियों के विरुद्ध चेतावनी (परामर्शिका संख्या-28)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-08/advisory\\_no\\_28\\_0001.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-08/advisory_no_28_0001.pdf)

## 8. इम्प्रिंट लाइन

8.1 पीआरपी अधिनियम, 2023 के अंतर्गत इम्प्रिंट लाइन संबंधी आवश्यकताएँ (परामर्शिका संख्या-46)

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-11/advisory\\_no.%2046.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2025-11/advisory_no.%2046.pdf)

## 9. शिकायत निवारण

9.1 शिकायत निवारण तंत्र पर

[https://prgi.gov.in/sites/default/files/2024-07/advisory\\_no.14\\_on\\_grievance\\_redressal\\_mechanism.pdf](https://prgi.gov.in/sites/default/files/2024-07/advisory_no.14_on_grievance_redressal_mechanism.pdf)

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

राजीथ चंद्रन एम. आर.

उप प्रेस महापंजीयक